


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -दोवनी.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 391/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.स.	नाम- ग्राम	खा.न	रिपोर्ट		
1	दोवनी	141	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			वर्तमान प्राविष्टी	शुद्ध प्राविष्टी	तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ---दोवनी----- प.ह.----- दोवनी----- खालासं141..... में वर्तमान प्राविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			 ५११ ०२.१०.२५ तहसिलदार कपासन	 सहायक कलक्टर (कपासन अधिनियम 1956)	
	पटवारी पटवार हस्का..... तह.कपासन, जिला-चितौड़गढ	०२-१०-२५	जिला-चितौड़गढ (राज.)	कपासन जिला-चितौड़गढ	